यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

ठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस
र्थना पत्र सं0– :– 73/2024

उनवान

1. शंकरलाल पुत्र मांगीलाल जाति माली आयु 35 साल निवासी ढाणी ईश्वरदास का मौहल्ला ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण राज.

–प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामदेव जाति रैगर निवासी रैगरो का मौहल्ला ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह. शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण राजस्थान

–गैर प्रार्थीगण

3. बालासहाय पुत्र मांगीलाल
4. हरिलाल पुत्र मांगीलाल
5. सागरी देवी पत्नी मांगीलाल
6. पुरण पुत्र मांगीलाल
7. बाबूलाल पुत्र मांगीलाल
8. हजारीलाल पुत्र मांगीलाल समस्त उम्र व्यस्कान जाति माली निवासी ढाणी ईश्वरदास का मौहल्ला ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण राज.

–तरतीबी गैर प्रार्थीगण

ा0 पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 26.6.2025

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का पेश कर जाहिर किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि मि हाल खाता सं. 257 के हाल खसरा नम्बरान 1295/2112 रकबा 0.04, 1297 रकबा 0.21, 1298 कबा 0.04, 1299 रकबा 0.22, 1300 रकबा 0.25, 1301 रकबा 0.19. 1302 रकबा 0.18, 1303 रकबा 27, 1339 रकबा 0.14 कुल किता 9 कुल रकबा 1.54 हैक्ट, वाकै ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जला जयपुर स्थित हैं। प्रार्थी व तरतीबी गैर प्रार्थीगण खातेदार काबिज काश्त है तथा लगान राज मा कराते आ रहे है। प्रार्थी व तरतीबी गैर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की दक्षिण पश्चिम दिशा ी सीमा पर गैर प्रार्थीगण सं 1 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं 1295 रकबा 0.27. ाकै ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण राज. स्थित हैं। प्रार्थी व तरतीबी गैर ार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि हाल खाता सं. 257 के हाल खसरा नम्बरान 1297 रकबा 0.21, 1298 कबा 0.04, 1299 रकबा 0.22, 1300 रकबा 0.25, 1301 रकबा 0.19, 1302 रकबा 0.18, 1303 रकबा 27, 1339 रकबा 0.14 कुल किता 8 कुल रकबा 1.50 हैक्ट. वाकै ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण राज. स्थित का श्रीमान उपतहसीलदार अमरसर के आदेश कमांक/ सीमा/भू. ./2024/398 दिनांक 21.5.2024 की पालना में दिनांक 21.6.2024 को सीमा ज्ञान करवाया गया । गैर प्रार्थी सं.1 ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक नाजायज संगठन बना रखा है, जो की ार्थी व तरतीबी गैर प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि का नाजायज फायदा उठाते हुए ार्थी व तरतीबी गैर प्रार्थीगण की भूमि में सीव फोडते रहते है काश्त में बाधा पैदा करते है इससे ार्थी व तरतीबी गैर प्रार्थीगण को पुनः सीमा बनाने में काफीखर्चा करना पडता है तथा धमकी देते है के गैर प्रार्थी सं. 1 अपने परिवार की महिलायों से प्रार्थी व तरतीबी गैर प्रार्थीगण व उसके रिवारजन के सदस्यों के झूठे मुकदमें लगवाकर जेल में बन्द करवाकर भूमि को जबरन हथियायेगे वं भूमि को दबा कर रहेगा। दिनांक 27.6.2024 को गैर प्रार्थीगण सं. 1 ने अपने परिवारजन के ाथ मिलकर प्रार्थी व तरतीबी गैर प्रार्थीगण की भूमि की सीमा के चिन्हों को नाजायज रूप मे कई

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

स्थानो पर तोड फोड कर दिया तथा प्रार्थी व तरतीबी गैर प्रार्थीगण की भूमि के अन्दर घुस गये है। इससे पक्षकारान के मध्य इस सीमा तोडफोड करने के विवाद को लेकर झगडा फिसाद भी हो सकता है। इसलिए पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थी व तरतीबी गैरप्रार्थीगण की भूमि की पत्थर गढी नहीं की गई तो गैर प्रार्थी सं. 1 जब चाहे प्रार्थी व तरतीबी गैर प्रार्थीगण की सीमा को तोड फोड करते रहेगे काश्त में बाधा करते रहेगे जिससे प्रार्थी व तरतीबी गैर प्रार्थीगण को अकथनीय हानि होगी। अन्त में प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी व तरतीबी गैर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खाता सं. 257 के हाल खसरा नम्बरान 1295/2112 रकबा 0.04, 1297 रकबा 0.21, 1298 रकबा 0.04, 1299 रकबा 0. 22, 1300 रकबा 0.25, 1301 रकबा 0.19, 1302 रकबा 0.18, 1303 रकबा 0.27, 1339 रकबा 0.14 कुल किता 9 कुल रकबा 1.54 हैक्ट. वाकै ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. स्थित की सीमा निश्चीकरण के अनुसार पत्थर गढी करवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिश्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 2 लगायत 8 की तामिल हो चुकी है जो बावजूद तामिल व सूचना के उपस्थित नही जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं. 01 दिनांक 5.5.25 एवं 23.5.25 को उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान की कोई सूचना नहीं दी गई तथा पडौसी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । प्रकरण बहस हेतु नीयत किया गया । वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई । अप्रार्थी सं0 1 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर उसके विरूद्व विधिवत एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो, एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। दिनांक 21.06.2024 को प्रार्थी की भूमि का पटवारी हल्का अमरसर के द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहती है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है। प्रार्थी के भूमि की मौके पर पत्थरगढी नही होने व असंतुष्ट होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि आ0 ख0 न0 1295/2112 रकबा 0.04, 1297 रकबा 0.21, 1298 रकबा 0.04, 1299 रकबा 0.22, 1300 रकबा 0.25, 1301 रकबा 0.19, 1302 रकबा 0.18, 1303 रकबा 0.27, 1339 रकबा 0.14 कुल किता 9 रकबा 1.54 है0 वाकै ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर प्रार्थी की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुए उनकी उपस्थिति में खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2024 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.6.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर